

R-29-PBM13

निगरानी प्रकरण क्र. :/2013

प्रस्तुति दिनांक :

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
मध्यप्रदेश के न्यायालय में

1. श्रीमती शान्तीबाई पिता श्री मडिया सिंगाड
2. कानु पिता श्री सकरा सिंगाड
3. मांगीलाल पिता श्री सकरा सिंगाड
4. शैतान पिता श्री मलिया भाभर
सभी निवासी-ग्राम कोटडा तहसील थांदला
जिला झाबुआ (म.प्र.)
5. प्रमोद पिता श्री राजमल सेठिया
6. श्रीमती पदमाबाई पति स्व.श्री राजमल सेठिया
दोनों निवासी-थांदला तहसील थांदला
जिला झाबुआ (म.प्र.)

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. जगदीश थावरिया पिता श्री मचार भील
निवासी-ग्राम देवीगढ़ तहसील भेद्यनगर
जिला झाबुआ (म.प्र.)
2. प्रकाश पिता श्री वरसिंह मचार
3. विजय पिता श्री वरसिंह मचार
4. मुकेश पिता श्री वरसिंह मचार
5. राकेश पिता श्री वरसिंह मचार
6. दिपला पिता श्री वरसिंह मचार
7. दिलीप पिता श्री वरसिंह मचार
सभी निवासी-ग्राम मझलई माता तहसील थांदला
जिला झाबुआ (म.प्र.)

श्री. म. प्र. म. प्र. को
द्वारा आज दि. 3.1.13 को
प्रस्तुत
3-7-13
कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

8. नारु पिता श्री डलिया
9. भारत पिता श्री हलिया
10. सोहन पिता श्री हलिया
11. हुला पिता श्री हलिया
12. श्रीमती जेला पति स्व.श्री हलिया मचार
क्र. 8 से 12 सभी निवासी- ग्राम मझलई माता
तहसील थांदला जिला झाबुआ (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर कलेक्टर जिला झाबुआ के द्वारा प्रकरण क्रमांक
6/अपील/2011-12 में दिनांक 13/12/2012 को पारित आदेश
से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत
है:-


75

Shatawali
03/1/13

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 29-पीबीआर/2013 जिला खण्डवा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: center;">  अध्यक्ष </p>	